FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): उज्जैन   P.S. (थाना): चिमन गंज मंडी

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0028   Year (वर्ष): 2021

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 08/01/2021 22:18 बजे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	म. प्र. नगर पालिका अधिनियम 1956	292 (C)
2	भा द सं 1860	420
3	भा द सं 1860	467
4	भा द सं 1860	468

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day (दिन): दरमियानी दिन
   Date From (दिनांक से): 08/01/2009
   Date To (दिनांक तक): 08/01/2021
   Time Period (समय अवधि):
   Time From (समय से): 00:00 बजे
   Time To (समय तक): 00:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 08/01/2021
Time (समय): 22:07 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):Entry No. (प्रविष्टि सं.): 044
Date & Time (दिनांक और समय): 08/01/2021 22:07

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

Scanned with CamScanner

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा): दक्षिण - पूर्व, 3.0 किमी
   Beat No. (बीट सं.):
   (b) Address (पता): महाडिक कालोनी,कानीपुरा रोड उज्जैन

   (c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
   Name of P.S.(थाना का नाम): District(State) (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):
   (a) Name (नाम): राजेन्द्रसिह रावत
   (b) Father's Name (पिता का नाम) : श्री ब्रजमोहन रावत
   (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1993 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
   (e) UID No. (यूआईडी सं.):
   (f) Passport No.(पासपोर्ट सं.): Date of Issue (जारी करने की तिथि):
   Place of Issue (जारी करने का स्थान):
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

   (h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	उपयंत्री कालोनी सेल नगर ,पालिक निगम उज्जैन ,चिमन गंज मंडी,उज्जैन, मध्य प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	उपयंत्री कालोनी सेल नगर ,पालिक निगम उज्जैन ,चिमन गंज मंडी,उज्जैन, मध्य प्रदेश,भारत

   (i) Occupation (व्यवसाय):
   (j) Phone number (दूरभाष सं.):
   Mobile (मोबाइल सं.): 91-9589669076

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):
   Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

Scanned with CamScanner

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	श्रीमति प्रभावति महाडिक		पति का नाम : मधुकर राव महाडिक	1. 2/9 जाल कम्पाउण्ड,मक्सी रोड उज्जैन,चिमन गंज मंडी,उज्जैन, मध्य प्रदेश,भारत
2	मनीष महाडिक		पिता का नाम : मधुकर राव महाडिक	1. 2/9 जाल काम्पाउण्ड,मक्सी रोड उज्जैन,चिमन गंज मंडी,उज्जैन, मध्य प्रदेश,भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., If any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12.First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

मै थाना चिमनगंजमंडी पर उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। थाना चिमनगंजमंडी पर नगर पालिक निगम उज्जैन से प्राप्त पत्र क्रमंक सा प्र वि /2020/ का .से. उज्जैन दिनांक 08.01.21 का पत्र आरोपी मधुकर राव महाडिक पिता त्रिम्बकराव महाडिक , श्रीमति प्रभावती महाडिक पति श्री मधुकर राव महाडिक एवं मनीष महाडिक पिता मधुकर राव महाडिक निवासी 2/9 जाल कम्पउण्ड मक्सी रोड उज्जैन के द्वारा बिना नगर निगम की अनुमति के एवं बिना कालोनाईजर लायसेंस प्राप्त किये अवैध कालोनी निर्माण करने के उद्देश्य से कृषि भूमि का उपविभाजन कर भूखंडों के रूप मे विक्रय पत्रो का संपादन कर बेंचा जा रहा है इस संबंध में म. प्र. नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्त) नियम 1998 तथा म. प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 धारा 292(ग) के तहत प्रथम सूचना पत्र लेख करने वावत् प्रस्तुत किया, प्राप्त पत्र के आधार पर उक्त आरोपियों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध धारा म. प्र. नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्त) नियम 1998 तथा म. प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 धारा 292(ग) , 420,467,468 ताहि का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया जाता है नकल आवेदन पत्र निम्नानुसार है- कार्यालय नगर पालिक निगम उज्जैन प्र. प्र क्रमांक सा.प्र.वि./2020/का.से./ उज्जैन दिनांक प्रति पुलिस अधीक्षक जिला उज्जैन विषयः- कानीपुरा रोड उज्जैन स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1596/1/2 पर अवैध कालोनी काटने वाले के विरूद्ध पुलिस प्रकरण दर्ज करने वावत् । विषयांतर्गत क्रम मे लेख है कि कानीपुरा रोड उज्जैन स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1596/1/2 पर मधुकर राव महाडिक पिता त्रिम्बकराव महाडिक , श्रीमति प्रभावती महाडिक पति श्री मधुकर राव महाडिक एवं मनीष महाडिक पिता मधुकर राव महाडिक निवासी 2/9 जाल कम्पउण्ड मक्सी रोड उज्जैन के द्वारा बिना नगर निगम की अनुमति के एवं बिना कालोनाईजर लायसेंस प्राप्त किये तथा बिना नगर निगम तथा ग्राम निवेश विभाग (टाउन एण्ड कंट्री) से अनुमति प्राप्त किये एवं बिना भूमि का व्यपवर्तन कराये कृषि भूमि का उपविभाजन कर विक्रय पत्रों के माध्यम से भूखण्डों के रूप मे भूमि का विक्रय किया जाकर अवैध रूप से महाडिक कालोनी के नाम से अवैध कालोनी बसाने का कृत्य किया जा रहा है जो मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की

Scanned with CamScanner

धारा 292 (ग) के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी मे है। स्थल का निरीक्षण विभागीय उपयंत्री के द्वारा किया गया है तथा दिनांक 08.01.2021 को स्थल पर मौका पंचनामा तैयार किया गया है जिसमें उनके द्वारा मौके पर आर.सी.सी. की रोड एवं 20-25 मकान निर्मित होना प्रतिवेदित किया गया है तथा संबंधित के विरूद्ध धारा 292 (ग) के तहत कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई है। मौका पंचनामा की मूल प्रति पत्र के पृष्ठांकित प्रति के संलग्न थाना प्रभारी को प्रेषित की जा रही है। मधुकर राव महाडिक पिता त्रिम्बकराव महाडिक के द्वारा उपरोक्त उल्लेखित भूमि पर संपादित विक्रय पत्र का विवरण निम्नानुसार है:- 1.श्रीमति सुनीता पोरवाल पति श्री विजय पोरवाल वर्तमान निवासी टेलीफोन एक्सचेंज बी.एस.एन.एल. स्टाफ क्वार्टर जगदेवगंज आलोट जिला रतलाम स्थायी निवासी बडा बाजार कण्ढाल चौराहा उन्हेल जिला उज्जैन को विक्रय पत्र दिनांक 23 अक्टूबर 2009 से भूखण्ड क्रमांक 13 व 14 जिसका कुल क्षेत्रफल 83.64 वर्गमीटर है विक्रय किया गया। 2. .श्रीमति सुनीता पोरवाल पति श्री विजय पोरवाल वर्तमान निवासी टेलीफोन एक्सचेंज बी.एस.एन.एल. स्टाफ क्वार्टर जगदेवगंज आलोट जिला रतलाम स्थायी निवासी बडा बाजार कण्ढाल चौराहा उन्हेल जिला उज्जैन को विक्रय पत्र दिनांक 23 अक्टूबर 2009 से भूखण्ड क्रमांक 15 जिसका कुल क्षेत्रफल 41.82 वर्गमीटर है विक्रय किया गया। उपरोक्तानुसार विक्रय पत्रो की छायाप्रति पत्र के पृष्ठांकित प्रति के साथ थाना प्रभारी को प्रेषित की जा रही है। इसी प्रकार कई अन्य लोगों को भी विक्रय पत्रों का संपादन मधुकर राव महाडिक के द्वारा किया गया है। इस संबंध मे भूखण्डों की रजिस्ट्री करने के पश्चात भी भूखण्डो का कब्ज़ा नही दिये जाने के संबंध मे श्रीमति सुनीता पोरवाल पति श्री विजय पोरवाल के द्वारा शिकायती पत्र भी प्रस्तुत किया गया है उक्त आवेदन की मूल प्रति संबंधित थाना प्रभारी को आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्र की पृष्ठांकित प्रति के साथ प्रेषित की जा रही है। अतः कानीपुरा रोड उज्जैन स्थित भूमि सर्वे क्रं 1596/1/2 पर मधुकर राव महाडिक पिता त्रिम्बकराव महाडिक एवं वारिसान श्रीमति प्रभावती महाडिक पति श्री मधुकर राव महाडिक एवं मनीष महाडिक पिता मधुकर राव महाडिक निवासी 2/9 जाल कम्पउण्ड मक्सी रोड उज्जैन के द्वारा बिना नगर निगम की अनुमति के एवं बिना कालोनाईजर लायसेंस प्राप्त किये तथा बिना नगर निगम तथा ग्राम निवेश विभाग (टाउन एण्ड कंट्री) से अनुमति प्राप्त किये एवं बिना भूमि का व्यपवर्तन कराये कृषि भूमि का उपविभाजन कर विक्रय पत्रों के माध्यम से भूखण्डों के रूप मे भूमि का विक्रय किया जाकर अवैध रूप से महाडिक कालोनी के नाम से अवैध कालोनी बसाने का कृत्य करने के लिये मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्ते) नियम 1998 तथा म.प्र नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 (ग) के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर) दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित करने का अनुरोध है।उपरोक्त उल्लेखित अभिलेख थाना प्रभारी को आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्र के पृष्ठांकित प्रति के साथ प्रेषित किये जा रहे है। एस डी अस्पष्ट क्षितिज सिंघल आई.ए.एस. आयुक्त नगर पालिक निगम उज्जैन प्रतिलिप पृष्ठांकन क्रमांक 12 उज्जैन दिनांक 08.01.2021 1- कलेक्टर जिला उज्जैन की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित। ,2- थाना प्रभारी थाना चिमनगंजमंडी की ओर संबंधित के विरूद्ध एफ आई आर दर्ज करने की अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न- 1. म.प्र नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 (ग) की प्रमाणित प्रति 2. मौका पंचनामा दिनांक 08.01.2021 मूल प्रति 3. विक्रय पत्रों की छायाप्रति 02 4. स्थल के फोटोग्राफ प्रतियां 5. नजरी नक्शे की मूल प्रति 6. श्रीमति सुनीता पोरवाल की मूल शिकायत दिनांक 02.01.2021। 3- राजेन्द्र रावत उपयंत्री कालोनी सेल नगर पालिक निगम उज्जैन की ओर थाना चिमनगंजमंडी उज्जैन से संपर्क कर एफ आई आर दर्ज करने की कार्यवाही हेतु पालनार्थ एस डी अस्पष्ट आयुक्त नगर पालिक निगम उज्जैन।

Scanned with CamScanne

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 उल्लेख धारा के तहत है |)

or (या)

(1) Registered the case and took up the investigation:
(प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Raghu Kokode
No.(सं.):
Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

to take up the Investigation
(को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

थाना प्रभारी के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज की गई

FIR Writer (कायमीकर्ता के हस्ताक्षर)

Name (नाम): YADVENDRA SINGH PARIHAR

Rank (पद): उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक

Scanned with CamScanner